ACE/24-25/211 19/3/2025

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/SPL-Com.for SC/2024/20094 दिनांक : 11-3-2025

आदेश

विभागीय समसंख्यक पत्रांक 18901 दिनांक 23.01.2025 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, मिरासी एवं भिश्ती उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना एवं अति पिछड़ा वर्ग योजना (सत्र 2016-17 से 2022-23 तक) के आवेदन पत्रों में आंशिक कमियाँ/आक्षेप/रैड फ्लैग में होने के कारण जो आवेदन पत्र दिनांक 10 फरवरी 2025 के पश्चात् भी विद्यार्थियों /शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लम्बित है, को स्थाई निरस्त किया जाना प्रस्तावित था। विद्यार्थी हित को देखते हुए ऐसे आवेदनों को स्थाई निरस्त करने की तिथि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त तिथि के पश्चात् उक्त शैक्षणिक वर्षों के विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को स्थाई निरस्त कर दिया जायेगा।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/SPL-Com.for SC/2024/20095-200 दिनांक : 11-3-2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त............।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, समस्त ....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय, समस्त।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation: Director
Date: 2025.03.10 17:16:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14093636

Forward to Praveen Baghel

NB/WB/App

18.3.25

15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त......।
16. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त ....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं ....।
18. संयुक्त निदेशक (आई. टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)..........।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2025.03.10 17:16:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14093636